छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री टी.पी.शर्मा न्यायमूर्ति एवं
माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 601/2006

आनंद उर्फ़ गुडवा नागेशिया

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित /-
श्री टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर

हस्ताक्षरित /-
श्री आर.एन. चंद्राकर
न्यायमूर्ति

निर्णय घोषित किये जाने हेतु 30-08-2011 को रखा जावे

हस्ताक्षरित /-

30-08-2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 601/2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी : आनंद उर्फ़ गुडवा नागेशिया

(जेल में) पिता नोगरसाई,

उम्र लगभग 25 वर्ष,

निवासी ग्राम आमदरहा, थाना दरिमा,

जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ शासन ,

थाना दरिमा, जिला सरगुजा, (छ.ग.)

अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित: अपीलार्थी की ओर से श्री आर.के.जैन, अधिवक्ता

राज्य शासन/प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती मधुनिषा सिंह, शासकीय पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(30 अगस्त, 2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा, द्वारा घोषित किया गया:

1. इस अपील में 3-8-2006 को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश(फास्ट ट्रेक कोर्ट), अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 168/2005 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके अध्यधीन और जिसके अनुसार माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को 4 वर्ष के बच्चे की हत्या के बराबर दांडिक मानववध के अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराते

हुए और दांडिक मामले के साक्ष्य छिपाने के लिए, अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 302 व 201 के तहत सिद्धदोष ठहराया तथा उसे आजीवन कारावास का दंड भुगतने व 500/-रुपये का जुर्माना दंडादिष्ट किया, जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास और तीन वर्ष का कठोर कारावास और 300/- रुपये का जुर्माना अदा करने की दंडादेश दिया, अर्थदण्ड अदा न करने पर बीस दिन का अतिरिक्त कठोर दंड से दंडादिष्ट किया गया।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि लेशमात्र के साक्ष्य के बिना, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया और दंडादिष्ट किया गया, और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दिनांक 26-3-2005 की दुर्भाग्यपूर्ण रात को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच, ग्राम आमदरहा, पुलिस थाना दरिमा, जिला सरगुजा में, 4 वर्षीय अभागा मृत बच्चा आकाश अपनी नानी केंडी (अ.सा.-12) की गोद में बैठा था, अपीलार्थी केंडी (अ.सा.-12)के घर गया और बच्चे आकाश को मिठाई देने के बहाने, बच्चे आकाश को अपने साथ ले गया, उसके बाद, अपीलार्थी ने बच्चे को वापस नहीं लौटाया या बच्चा अपनी नानी के घर वापस नहीं आया, जहां बच्चे की मां घुर्मी बाई (अ.सा.-1) अस्थायी रूप से अपने मायके में रह रही थी। बच्चे की मां घुर्मी बाई (अ.सा.-1), बच्चे की नानी केंडी

(अ.सा.-12) और केंडी के पति केंडल ने अपीलार्थी से पूछताछ की और बच्चे आकाश को भी ढूंढा, जिस पर अपीलार्थी ने बताया कि बच्चा सो रहा है और वह अपने घर चला जाएगा। आखिरकार, बच्चा अपनी नानी के घर वापस नहीं आया, तो उन्होंने सरपंच और अन्य ग्रामीणों को सूचित किया और अन्ततोगत्वा बच्चे के लापता होने तथ्यों की सूचना पुलिस थाना दरिमा को दी गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट प्र.पी.-8 के अध्यधीन दर्ज की गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच/पूछताछ के दौरान, अन्वेषण अधिकारी धीरज मरकाम(अ.सा.-13) ने अपीलार्थी से पूछताछ की, जिसने मृतक आकाश के शव के बारे में रहस्योद्घाटक बयान दिया और बताया कि शव स्वयंवर रजवाड़े के खेत में दफनाया गया था, जिसे प्र.पी.1 के रूप में दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अन्वेषण अधिकारी ग्रामीणों और साक्षियों के साथ, जिन्हें प्र.पी.-2 के तहत बुलाया गया था, अपीलार्थी के साथ गए, जो उन्हें स्वयंवर रजवाड़े के खेत में ले गया, जहां से अपीलार्थी ने उस खेत से दफनाए गए शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, जिसकी पहचान साक्षियों ने आकाश के शव के रूप में की। इन तथ्यों का उल्लेख करने के बाद, मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-3 के अध्यधीन तैयार किया गया। उसी दौरान, सरपंच और पंचों ने उन्हीं तथ्यों का पंचनामा प्र.पी.-4 के तहत दर्ज किया। धटनास्थल का नक्शा प्र.पी.-7 के अध्यधीन

तैयार किया गया था। देहाती मर्ग प्र.पी.-13 के अध्यधीन दर्ज किया गया था और मर्ग प्र.पी.-11 के तहत दर्ज किया गया था। प्राथमिकी प्र.पी.-10 के अध्यधीन दर्ज की गई थी। शव को प्र.पी.-14 के अध्यधीन असिस्टेंट सर्जन, दरिमा के पास शव परीक्षा के लिए भेजा गया था। डॉ. बी.एल. कौशल (अ.सा.-5) ने प्र.पी.-5 के अध्यधीन शव परीक्षण किया और निम्नलिखित लक्षण/चोटें पाईं:

- कलुषित बदबूदार(गंध)युक्त अपघटन शुरू हो गई थी।
- शरीर पर कीड़े पाए गए।
- नथुना, चेहरा, होंठ और जीभ सूजे हुए थे।
- टोड़ी के नीचे और गर्दन के दाहिनी ओर खरोंच के निशान पाए गए।
- गर्दन के बाईं ओर एक के ऊपर एक कई उंगलियों के खरोंचों के निशान।
- गले और गाल पर उंगलियों के नाखूनों के निशान।
- गुदा से मल बाहर आया हुआ था।
- खोपड़ी के बीच का जोड़ ढीला था।
- श्वास नलिका संकुलित होकर भरा हुआ था।
- मस्तिष्क द्रव्य (उत्तकों) का सख्त होना।
- पेटेकियल हेमरेज(रुधिरांक रक्तस्राव = त्वचा नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं से होने वाला रक्तस्राव) एवं कंजेशन ऑफ़ लंग्स (फेफड़ों में जमाव व वायुमार्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाधा) मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटने से एस्फिक्सिया(श्वासावरोध) था और मृत्यु की प्रकृति मानव वध की थी।

4. धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता की के अंतर्गत साक्षियों के साक्ष्य कथन दर्ज किए गए। अन्वेषण पूरी होने के बाद, अभियोग पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर की कोन्यायालय मैं दाखिल की गई, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायधीश, अंबिकापुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को विचारण के लिए अंतरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 13(तेरह) साक्षियों से परीक्षा कराई गई। अभियुक्त से धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता की के अंतर्गत पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रकट हुए परिस्थितितियों से इनकार किया, खुद को निर्दोष होने का अभिवाक किया और कथन किया कि उसे प्रश्नाधीन अपराध में दुराशय से झूठा फंसाया गया है।

6. दोनों पक्षों को सुनवाई का यथोचित अवसर देने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त उल्लेखित तरीके से सिद्धदोष ठहराते हुए दंडादिष्ट किया।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन व परिशीलन किया।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर अवलम्बित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कुसुमा अंकमा राव विरुद्ध स्टेट ऑफ़ आंध्र प्रदेश**[1] के मामले में अभिनिर्धारित किया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित दोषसिद्धि के मामले में, अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित परिस्थितियों को संतुष्ट करना होगा और उन परिस्थितियों की पूरी कड़ी को साबित करना होगा जो केवल अभियुक्त के दोषिता की ओर इशारा करती हैं, जिसमें अन्य व्यक्तियों के दोषिता की संभावना को छोड़कर और अभियुक्त के दोषिता को शामिल किया गया है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) जिन परिस्थितियों से अपराध की दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से सुस्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'हो सकती हैं' नहीं अपितु 'जरुर' या स्थापित 'होनी चाहिए';

(ii) जो तथ्य साबित हुए हैं, वे सिर्फ़ अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, यानी, उन्हें किसी अन्य अनुमान से व्याख्यायोग्य नहीं है, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(iii) परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

[1]2008 AIR SCW 4669

(iv) उन्हें साबित की जाने वाली अनुमान को छोड़कर हर संभावित अनुमान को बाहर रखना चाहिए; और

(v) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी परिपूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न रहे एवं यह दृष्टव्य हो कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में, अपराध घटित होने में हेतुक एक बड़ी भूमिका निभाता है, किन्तु अभियोजन पक्ष अपराध घटित होने के हेतुक को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। घुरनी बाई (अ.सा.1)-मृतक बच्चे की माँ और केंडी(अ.सा.12)- मृतक बच्चे की नानी के बयान के अनुसार, अपीलार्थी ने उन्हें बताया कि मृतक घुरनी बाई (अ.सा.-1)के चाचा संघली के घर सो रहा था। केंडी (अ.सा.-12) के बयान के अनुसार, अपीलार्थी एक अन्य व्यक्ति अनिल के साथ आया और बच्चे को ले गया। संघली और अनिल घटना वृतांत को प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण साक्षी हैं, किन्तु अभियोजन पक्ष को बेहतर तरह से ज्ञात है कि किन कारणों से, अभियोजन ने घटना वृतांत को प्रकट करने के लिए उनका परीक्षण नहीं कराया। इसलिए, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य संदेह सृजन करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, किन्तु अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि मृतक का शव अपीलार्थी के निर्दिष्टता पर बरामद नहीं किया गया है।

अभिकथित पंचनामा प्र.पी.-4 व मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-3 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं और उक्त दस्तावेजों पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर न होने के कारण इसे शव की बरामदगी मेमो के रूप में नहीं माना जा सकता, वह भी अपीलार्थी के कहने पर। ऐसी बरामदगी के अभाव में, वस्तुतः, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक का मानव वध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसके विपरीत विद्वान शासकीय अधिवक्ता दांडिक अपील का विरोध हुए कहा कि अपीलार्थी ने साक्षियों के समक्ष प्रकटन कथन(प्रकटीकरण बयान) प्र.पी.-1 के माध्यम से शव के बारे में विवरण दिया है और उसी की निर्दिष्टता पर शव बरामद किया गया है। शव की बरामदगी का तथ्यों का विवरण विशेष रूप से मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन प्र.पी.-3, में किया गया है, जिसे बेचनराम (अ.सा.-2), विकास सिंह (अ.सा.-3)और धीरज मरकाम (अ.सा.-13) के साक्ष्यों से विधिवत साबित किया गया है। बरामदगी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेना अपरिहार्य नहीं है और विधि के अनुक्रम में यह कोई पूरोभाव्य शर्त नहीं है, बल्कि यह विवेक का नियम है, यदि बरामदगी अन्य अकाट्य साक्ष्य से साबित होती है, तो ऐसे दस्तावेज

पर अभियुक्त के हस्ताक्षर न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करके परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित की है। असल में, यह अभिरक्षा में मृत्यु का मामला है जिसमें मृतक आकाश अपीलार्थी की अभिरक्षा में था और इसलिए, अपीलार्थी पर यह दायित्व था कि वह यह स्पष्टीकरण दे कि आकाश की मृत्यु कैसे हुई। ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में, केवल यही निष्कर्ष संभव होगा कि अपीलार्थी ने आकाश का मानववध कारित किया है जो हत्या के तुल्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों को विवेचन के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की जांच की है।

11. इस मामले में, मृतक आकाश, जो 4 साल का बच्चा था, की प्राणघातक चोटों के कारण मानववध एवं आकाश की शव को स्वयंवर रजवाड़े के खेत में दफनाना, यानी दांडिक मामले के साक्ष्यों को छिपाना, अपीलार्थी की ओर से इस तथ्य पर कोई विशेष आक्षेप नहीं किया गया है, वैसे भी, यह डॉ.बी.एल. कौशल(अ.सा.-5) के साक्ष्य, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.-5, मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-3 और अन्य अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से साबित होता है, जिन्होंने अपने साक्ष्य कथनों में स्पष्ट तौर पर कहा है कि शव स्वयंवर राजवाड़े के खेत से बरामद की गई थी और वह दफन की हुई हालत में थी, हालांकि खोद कर शव को

निकालते समय शरीर का कुछ हिस्सा दिख रहा था। सामान्य परिस्थितियों में, मृतक आकाश को अपनी नानी केंडी (अ.सा.-12) के घर या अपनी माँ के साथ होना चाहिए था, न कि मिट्टी के नीचे दबी हुई हालत में। अतएव, उपरोक्त परिस्थितियाँ यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि मृतक की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी तथा दांडिक मामले के साक्ष्यों को छिपाया गया था

12. जहाँ तक प्रश्नाधीन अपराध में अपीलार्थी की सहभागिता का प्रश्न है, अपीलार्थी की दोषसिद्धि मूलतः घुर्नी बाई (अ.सा.-1), बेचन राम(अ.सा.-2), विकास सिंह (अ.सा.-3), केंडी(अ.सा.-12) और धीरज मरकाम(अ.सा.-13) की साक्ष्यों पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितियों को साबित करने की कोशिश की है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ) आकाश अपनी नानी केंडी (अ.सा.-12) की गोद में बैठा था।

(ब) अपीलार्थी केंडी(अ.सा.-12) के घर आया और आकाश को मिठाई देने के बहाने अपने साथ ले गया।

(स) अपीलार्थी ने बच्चे को केंडी (अ.सा.-12)या घुर्नी बाई (अ.सा.-I) को वापस नहीं किया।

(द) आकाश भी अपने घर वापस नहीं लौटा और उसकी लाश स्वयंवर रजवाड़े के खेत में छिपाई गई हुई स्थिति में दफन की हुई मिली।

(इ) अपीलार्थी ने प्र.पी.-1 के अध्यधीन शव के बारे में प्रकटीकरण बयान दिया और अपीलार्थी के निर्दिष्टतापर मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-3 के अध्यधीन शव को खोदकर निकाला गया ।

13. केंडी(अ.सा.-12) की बयान के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक बच्चा आकाश उसकी गोद में बैठा था, शाम लगभग 7 बजे अपीलार्थी आया और आकाश को मिठाई देने के बहाने अपने साथ ले गया, अपीलार्थी ने उसे यह भी बताया कि उन्हें बच्चे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और वह बच्चे को वापस ले आएगा। यद्यपि, अपीलार्थी बच्चे को वापस नहीं लाया। अपीलार्थी उसके घर में सो रहा था, पूछने पर उसने बताया कि आकाश संघली के घर में सो रहा है, जिस पर वह संघली के घर गई, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिला, उसने फिर से अपीलार्थी से बच्चे के बारे में पूछा, जिस पर अपीलार्थी खुद आकाश को ढूंढने गया, लेकिन अपीलार्थी वापस नहीं आया, तब उसने सरपंच को घटना के बारे में बताया और आखिरकार उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और उसने अपीलार्थी से पूछताछ की, जिस पर उसने पुलिस को बताया कि आकाश का शव दफना दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. घुर्नी बाई(अ.सा.-1)-मृतक की माँ ने, केंडी(अ.सा.-12) के साक्ष्य कथन की वास्तव में संपुष्टि की है। अन्वेषण अधिकारी धीरज मरकाम (अ.सा.-13) के साक्ष्य के अनुसार, उसने साक्षियों के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिए गए शव के

प्रकटीकरण बयान को दर्ज किया गया, उसके बाद उसने ज्ञापन(मेमोरेंडम) और मृत्यु समीक्षा दर्ज किया। उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि प्रकटीकरण बयान के समय उसे स्वयंवर रजवाड़े के खेत में दबी शव के बारे में जानकारी थी

15. प्रकटीकरण/रहस्योद्घाटक बयान प्र.पी.-1 के साक्षियों बेचन राम(अ.सा.-2) और विकास सिंह (अ.सा.-3) ने, स्पष्टतः बयान दिए थे कि अपीलार्थी ने शव के बारे में प्रकटीकरण/रहस्योद्घाटक बयान दिया और बताया कि शव स्वयंवर रजवाड़े के खेत में दफनाया है, तब पुलिस अपीलार्थी एवं अन्य साक्षियों को स्वयंवर रजवाड़े के खेत में ले गई। अपीलार्थी ने वह जगह दिखाई, जिस जगह पर शव दफनाया गया था और मिट्टी हटाने के बाद शव को जमीन से बाहर निकाला गया। बैजनाथ (अ.सा.-4), धनसाई (अ.सा.-7) और दूजेनाथ(अ.सा.-8) ने मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन प्र.पी.-3 के तथ्यों का समर्थन किया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. केंडी (अ.सा.-12) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी अनिल नामक एक व्यक्ति के साथ आया और मृतक आकाश को ले जाने के बाद, वह फिर से उसके घर आया और रात में वहीं रुका। उसने आगे यह बताया कि पूछे जाने पर, अपीलार्थी ने बताया कि आकाश संघली के घर सो रहा है। घुर्नी बाई(अ.सा.-1) ने उपरोक्त तथ्यों को संपोषित किया है। किन्तु अभियोजन पक्ष ने संघली और अनिल से परीक्षण नहीं कराया है। बचाव पक्ष ने. की धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किये गए केंडी

(अ.सा.-12)के बयान को प्र.पी.-डी 3 के रूप में पेश किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट तौर पर अभिकथन किया कि उसने पुलिस के सामने कहा था कि अपीलार्थी आकाश को अपने साथ ले गया था और उसने अपीलार्थी से पूछताछ किया था और यही तथ्य प्र.पी.-डी 3 में भी बताए गए हैं। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि विचारण न्यायालय ने इसे 'लोप' के रूप में क्यों दर्ज किया है।

17. बचाव पक्ष ने घुर्नी बाई (अ.सा.-1), बेचन राम (अ.सा.-2), विकास सिंह (अ.सा.-3), केंडी (अ.सा.-12) और धीरज मरकाम(अ.सा.-13) से लंबा प्रतिपरीक्षण किया, किन्तु उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी उजागर नहीं हुआ जिससे यह साबित हो कि अपीलार्थी ने, मृतक को, केंडी (अ.सा.-12) की गोद से अपने साथ नहीं ले गया था, उसके बाद उसने आकाश को केंडी (अ.सा.-12) या उसकी मां घुर्नी बाई(अ.सा.-1) को वापस कर दिया था, अपीलार्थी ने शव के बारे में कोई प्रकटीकरण/रहस्योद्घाटक बयान नहीं दिया था और शव स्वयंवर राजवाड़े के खेत से अपीलार्थी के निर्दिष्टतापर बरामद नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहाँ तक मृत्यु समीक्षा- प्र.पी.3 पर अभियुक्त/अपीलार्थी के हस्ताक्षर और पंचनामा-प्र.पी.-4 के साक्ष्यिक मूल्य का प्रश्न है, साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पंचनामा-प्र.पी.-4 शव बरामद होने के समय दर्ज किया गया था और अपीलार्थी ने पंचनामा तैयार होने से पहले प्र.पी.-1 के अध्यधीन

प्रकटीकरण/रहस्योद्घाटक बयान दिया था। इसलिए, हमें पंचनामा -प्र.पी.-4 का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं मिलता है। पंचनामा प्रतिवेदन प्र.पी.-4 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। किन्तु सिर्फ़ मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन (प्र.पी.-4) पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर न होने के आधार पर, अपीलार्थी के निर्दिष्टतापर शव बरामद होने के संस्थापित साक्ष्य को नामंजूर नहीं किया जा सकता। वैसे भी, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी, किसी भी चीज़ की बरामदगी के लिए ज़ब्ती ज्ञापन तैयार करते समय, अभियुक्त के किसी भी बयान पर उसके हस्ताक्षर लेने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह के सम्बन्धित मामला **स्टेट ऑफ़ राजस्थान विरुद्ध तेजाराम व अन्य**[2] में विचार करते समय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 30 में यह अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"परिणामिक स्थिति यह है कि अन्वेषण अधिकारी की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तु की बरामदगी के लिए ज़ब्ती पत्रक तैयार करते समय अभियुक्त के किसी भी अभिकथन पर उसके हस्ताक्षर लेने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन, अगर किसी अन्वेषण अधिकारी ने हस्ताक्षर लिए हैं, तो इसमें कुछ भी गलत या न्याय विरुद्ध नहीं है। इसलिए, हम अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि प्र.पी.-3 व प्र.पी.-4

[2] AIR 1999 SC 1776

ज़ब्ती पत्रक में अभियुक्त के हस्ताक्षर कुल्हाड़ियों की बरामदगी से जुड़े साक्ष्य को विदूषित कर देंगे।"

19. केंडी (अ.सा.12) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी ने आकाश को अपने साथ ले गया और उसने आकाश को केंडी या आकाश की माँ घुर्नी बाई (अ.सा.1) को वापस नहीं लौटाया, उसके बाद आकाश का शव अपीलार्थी के निर्दिष्टतापर बरामद हुई जो स्वयंवर रजवाड़े के खेत में दफ़नाई गई थी। अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने आकाश को अपनी अभिरक्षा से कब मुक्त किया/छोड़ा। यह अभिरक्षा में मृत्यु का मामला है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **दलीप सिंह और अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ़ हरियाणा**[3] के मामले में अभिनिर्धारित किया है, जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में मृतक को ले जाया गया था और उसकी मृत्यु हुई, वह इस विवरण को बताने के बाध्यताधीन है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, ऐसी निरूपण के अभाव में एकमात्र यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलार्थी ने मृतक का आपराधिक मानववध कर मृत्यु कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियोजन पक्ष ने अभिकथित संघली व अनिल की परीक्षण नहीं कराया है। अपीलार्थी के पास भी अपने बचाव में उनके परीक्षण करने का अवसर

[3] AIR 1993 SC 2119

था। सिर्फ़ संघली और अनिल की परीक्षण न कराना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य इन परिस्थितियों को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं:

(अ) आकाश अपनी नानी केंडी (अ.सा.12) की गोद में बैठा था।

(ब) अपीलार्थी केंडी (अ.सा.12) के घर आया और आकाश को मिठाई देने के बहाने अपने साथ ले गया।

(स) अपीलार्थी ने बच्चे को केंडी (अ.सा.12) या घुर्नी बाई (अ.सा.1) को वापस नहीं लौटाया।

(द) आकाश भी अपने घर वापस नहीं लौटा और उसका शव स्वयंवर रजवाड़े के खेत में छिपी हुई व जमीन में दफन की हुई अवस्था में मिली।

(इ) अपीलार्थी ने शव के बारे में प्रकटीकरण बयान (प्र.पी.1)दिया और अपीलार्थी के निर्दिष्टता(प्र.पी.3) पर शव को खोदकर बाहर निकाला गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कुसुमा** (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया था, अगर ऊपर बताई गई परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाए तो मात्र यही निष्कर्ष निकलेगा कि सिर्फ़ अपीलार्थी ने ही मृतक आकाश का मानववध कर मृत्यु कारित की है, तथा अपीलार्थी के अतिरिक्त कोई अन्य,

मृतक आकाश की मृत्यु कारण नहीं बना और साथ ही विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी के निर्दोष होने की सम्भावना को अपवर्जित करती है।

22. जहां तक हेतुक का प्रश्न है, हेतुक सिर्फ़ अपराधिता में मदद करता है एवं प्रत्यक्ष प्रमाण की दशा में यह अपना महत्व खो देता है। हेतुक का अनुमान इस्तेमाल किए गए अस्त्र-शस्त्र, शरीर के प्रभावित हिस्से, चोट की प्रकृति और अन्य समान परिस्थितियों के आधार पर लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में हेतुक का बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस मामले में, मृतक की उम्र लगभग 4 साल थी और मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटने से श्वासावरोध था। हेतुक व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपा होता है, किन्तु इसे उपयोग किए गए अस्त्र-शस्त्र, शरीर के प्रभावित हिस्से, चोट की प्रकृति तथा अन्य समान परिस्थितियों के आधार पर पता लगाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अपीलार्थी के विरुद्ध बताए गए परिस्थिति, 4 साल के बच्चे आकाश के शरीर पर मिली चोटें और गला घोंटने की तथ्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु कारित करने आशय से उसका मानववध किया है और उसके पास यह अपराध कारित करने का हेतुक था।

24. अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों का विवेचन व परिशीलन करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को ऊपर उल्लेखित अनुसार से सिद्धदोष ठहराया और दंडादिष्ट किया; अपीलार्थी की दोषसिद्धि व उस अधिरोपित दंडादेश विधि अनुरूप मान्य विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्यों पर आधारित हैं। साक्ष्यों की सूक्ष्म से संवीक्षा करने पर, हमने इस आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या दोर्बल्यता नहीं पाया।

25. परिणामतः, यह अपील गुण-दोष से रहित है, इसे खारिज किया जाना चाहिए तथा इसे एतद द्वारा खारिज किया जाता है।हस्ताक्षरित/-

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-
टी.पी. शर्मा	आर.एन. चंद्राकर
न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate